नम्बर व ता… जो इस हुक्म… में जारी…

FORM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

रामचन्द्र .... बनाम .... छद्दूलाल,

करम मुकदमा .... नं. 1121/15 . ... सन् ....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11/2/20	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी बहस में उपस्थित नहीं हुए, पत्रावली पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादीगण का वाद-पत्र सिद्ध नहीं होता है। अतः वाद वादीगण का [illegible] 40 नियम का खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर [illegible] हस्ता० दिनांकित किया। डिक्री तैयार की आवश्यक हो गई। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नियम से दा० हो। (हस्ताक्षर) 11/2/2020	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला–चित्तौडगढ़(राज.)
(पीठासी अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस.)

दावा संख्या :: 114 / 2015

1. रामचन्द्र पिता खाना जी बलाई निवासी गुलाना तह0 बेगूँ
2. शंभुलाल पिता खाना जी बलाई निवासी गुलाना तह0 बेगूँ
3. ओमप्रकाश पिता खाना जी बलाई निवासी गुलाना तह0 बेगूँ
4. मांगीबाई बेवा खाना जी बलाई निवासी गुलाना तह0 बेगूँ
5. सुरेश पिता हीरा जी बलाई निवासी गुलाना तह0 बेगूँ
6. लाभचन्द्र पिता हीरा जी बलाई निवासी गुलाना तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. उदयलाल पिता प्यारा जी बलाई निवासी गोविन्दुपरा तह0 बेगूँ
2. श्री तहसीलदार भूमिधारी तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़
3. श्रीमान कलक्टर सा. प्रतिनिधी राज्य सरकार चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित :: श्री अब्दुलकरीम
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक ::11.02.2020

निर्णय वाद पत्र अनतर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधि.

वादीगण की वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत अधिवक्ता श्री अब्दुलकरीम द्वारा प्रस्तूत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि ग्राम गुलाना तहसील बेगूँ के खाता संख्या 179 आराजी नम्बर 61,158, 159, 200, 297, 307, 308, 407, 410, 422, 423, 424, 426, 528, 631, 632, 634, 635 एवं 636 किता 19 रकबा 6.7810 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त खातेदारी की भूमि हमारी पैतृक होकर हम वादीगण ही उक्त भूमि के स्वामी हे और कब्जा और उपयोग हमारा ही चला आ रहा है। यह कि पारिवारिक सजरे के अनुसार फत्ता एवं घीसा दो भाई थे। फत्ता के पेमा व भूरिया दो लडके थे, घीसा के कोई लडका नहीं था, केवल एक लडकी झमकूबाई थी झमकू जब 3 माह की थी तभी घीसा का स्वर्गवास हो गया जिससे घीसा की मृत्यु पर सभी क्रियाकर्म फत्ता ने ही किया व घीसा की लडकी झमकू की शादी भी फत्ता ने ही करवाई।

घीसा के कोई लडका नहीं होने से विरासत से पगडी फत्ता के ही जाति पंचो ने घीसा की पत्नि की सहमति से बंधवाई और कुलिया चल व अचल सम्पत्ति का वारिस होकर कुलिया खातेदारी की भूमि फत्ता के स्वामित्व में आई। तहसील बेगूँ का नया सेटलमेन्ट सम्वत 2022 में हुआ इससे पूर्व खाता पेमा भूरिया का ही चला आ रहा था। सेटलमेन्ट से पूर्व काफी समय फत्ता एवं घीसा का स्वर्गवास हो गया था। तत्कालीन विधि अनुसार पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं था। सेटलमेनट वालों ने अपनी स्वःप्रेरणा से घीसा की पुत्री झमकू का नाम सेटलमेनट के मिलान खसरे में नाम अंकित कर दिया। जिससे नई जमाबन्दी में झमकू का नाम घीसा के बजाय अंकित हो गया जबकि झमकू का वाद वर्णित आराजी के किसी हिस्से पर ना तो कभी कब्जा था और न ही वर्तमान में कब्जा है। सेटलमेन्ट की गलती से नाम अंकित होने से खाते में नाम अंकित हो गया जो गलत है। मु. झमकू का भी करीब 10 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया जिससे झमकू की विरासत से उसके दो लडके मांगीलाल व उदयलाल का

-----लगातार

Scanned by CamScanner

नाम अंकित कर दिया जबकि मांगीलाल भी करीब 3 वर्ष पहले फोत हो गया है। झमकू के वारिसों में केवल प्रतिवादी संख्या 1 शेष है।

यह कि प्रतिवादी सं. 1 का नाम गलती से बिना किसी कानून के सेटलमेन्ट वालों ने मिलान खसरे में अंकित कर दिया नवीन खाते में प्रतिवादी सं. 1 व मृतक भाई मांगीलाल का नाम अंकित है जो गलत होने से हम वादीगण खाते मे से हटवाने के अधिकारी है। जिसके लिए हम वादीगण ने मौखिक रूप से प्रतिवादी को कहा परन्तु कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया व अन्त में दिनांक 2.7.2015 को प्रतिवादी सं. 1 को नाम कटवाने बाबत कहा तो मना कर दिया। ग्राम गुलाना की खाता संख्या 179 में सेटलमेन्ट वालों की गलती से झमकू का नाम अंकित हो गया व झमकू के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी सं. 1 व मृतक मांगीलाल का नाम अंकित हो गया जिसको हम वादीगण जरिये इन्द्राज दुरूस्ती नाम हटवाने के अधिकारी होने से खिलाफ प्रतिवादी सं. 1 इन्द्राज दुरूस्ती का घोषणात्मक वाद प्रस्तुत है। बिनाय मुख्स्मत वाद पत्र वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को इन्द्राज दुरूस्ती करवाने बाबत मौखिक रूप से कई बार कहा व अन्त में दिनांक 2.7.2015 को कहा तो इन्द्राज दुरूस्ती करवाने से मना करने व उसके बाद हर रोज पैरदा हो रही है।

वाद वर्णित आराजीयात तहसील बेगूँ में स्थित है एवं पक्षकारान मुकद्मा भी तहसील बेगूँ क्षैत्र में निवास करते है जिससे काबिल समायत अदालत आप है। अतः वादीगण की प्रार्थना है कि बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी सं. 1 निम्न डिक्री सादर फरमाई जावेंः–

क– कि ग्राम गुलान तहसील बेगूँ के खाता संख्या 179 में हीरा मृतक का नाम दर्ज है जिससे बजाय उसके वारिस वादी सं. 5–6 का नाम इन्द्राज करने की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जावें।

ख– कि ग्राम गुलाना के खाता संख्या 179 में मृतक झमकूबाई के बजाय विरासत से प्रतिवादी उदयलाल एवं मृतक मांगीलाल का नाम अंकित है जिसको खाते मे से नाम हटाने की घोषणात्मक डिक्री खिलाफ प्रतिवादी सं. 1 सादिर फरमाई जावें।

ग– कि और भी कोई अनुतोष बहक वादीगण बरामद हो वह वादीगण को दिलाया जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तूत होने पर बाद जॉच दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, पत्रावली में प्रतिवादी सं. 1 उदयलाल का सम्मन ग्राम गोविन्दपुरा में नहीं रहने की रिपोट्र के साथ अदम तामील प्राप्त हुआ, पत्रावली को लोकदालत में रखे जाने पर वक्त लोक अदालत जारी सम्मन में उदयलाल का सम्मन व अन्य वादी एवं प्रतिवादीगण के सम्मन तामील होकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली में प्रतिवादी सं. 1 को सूचना के होने उपरानत भी वह न्यायालय में हाजिर नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। साथ ही पत्रावली में प्रतिवादी सं. 2 व 3 फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा जवाब प्रस्तूत नहीं किया गया । पत्रावली में वादीगण की ओर से एक तरफा साक्ष्य वादीगण में साक्ष्य वादीगण की ओर से शपथ पत्र रामचन्द्र पिता खाना जी बलाई,सुगनलाल पिता शम्भूलाल जी माली के प्रस्तूत कर वादी रामचन्द्र के बयान कलमबद्ध कराये गये। साक्ष्य वादी की पूर्ण होने पर पत्रावली पर अधिवक्ता वादीगण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया ।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस वादपत्र अनुसार निवेदन करते हुए कहा कि वाद वर्णित आराजी हम वादीगण की पैतृक आराजीयात है, उक्त कृषि आराजीयात फत्ता व घीसा दो भाई के नाम थी फत्ता के पेमा व भूरिया दो

---लगातार

Scanned by CamScanner

लडके थे जबकि घीसा के कोई लडका नहीं था, केवल एक लडकी झमकूबाई थी, झमकू जब छोटी थी तभी घीसा जी का स्वर्गवास हो गया तथा घीसा का सारा किया करम फत्ता जी ने ही किया व घीसा की लडकी शादी भी फत्ता जी ने ही करवाई, घीसा के कोई लडका नहीं होने से घीसा के मृत्यु उपरान्त उसकी पगडी फत्ता के ही बंधवाई गई थी, पगडी भी घीसा की पत्नि की सहमति से बंधवाई थी, इस प्रकार सम्पूर्ण कृषि आराजीयात फत्ता जी के नाम हो गयी तथा सम्पूर्ण आराजीयात पर फत्ता जी का ही कब्जा काश्त होकर वे ही उसका उपयोग करते चले आ रहे थे, फत्ता जी की मृत्यु होने पर आराजी में सैटलमेन्ट से पूर्व लडकियों को कोई अधिकार नहीं होने से वर्णित कृषि आराजीयात फत्ता जी के पुत्रों के नाम पर दर्ज रिकोर्ड की गई किन्तु सम्वत 2022 में जब कृषि भूमियों के सेटलमेन्ट हुए तब सैटलमेन्ट वालों ने गलती से घीसा की पुत्री झमकू का नाम उक्त वर्णित आराजीयात में अंकित कर दिया, समय रहते झमकू का भी देहान्त हो गया तथा उसके बाद उसके दो पुत्र उदयलाल व मांगीलाल का नाम आराजी में दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है, मांगीलाल का भी स्वर्गवास हो गया तथा आराजी में झमकू के पुत्र उदयलाल का नाम दर्ज अंकित रह गया है, हम वादीगण ने उदयलाल को कई बार नाम हटवाने के लिए कहा तो उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया जबकि आराजी पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग वादीगण ही करते चले आ रहे है। अतः वाद वर्णित कृषि आराजीयात से प्रतिवादी उदयलाल का नाम हटवाये जाने की घोषणा की जाकर हम वादीगण के नाम आराजी को घोषित किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

अधिवक्ता वादीगण की बहस ध्यानपूर्वक सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया, विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में बताये गये तर्को पर मनन किया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रदश की गई जमाबंदी संवत 2068–2071 खाता संख्या 179 मे रामचन्द्र, शंभुलाल ओमप्रकाश पिता खाना मु0 मांगीबाई बेवा खाना हीरा पिता भूरिया हिस्सा 2/3 बलाई, मांगीलाल उदयलाल पिता प्यारा बलाई 1/3 बलाई साकिन गोविन्दपुरा दर्ज रेकार्ड है। हमने सम्पूर्ण दस्तावेजो का अध्ययन किया। सेटलमेंट से पूर्व की जमाबंदियों का भी अवलोकन किया गया, इसमें घीसा की केवल एक पूत्री थी। पत्रावली में भू–सेटलमेन्ट विभाग की नकलों के अवलोकन से भी पाया जाता है कि पेमा भूरिया पिता नन्दा व मु. बरजी बेवा घीसा का नाम अंकित किया गया है, बरजीबाई घीसा की पत्नि होना स्पष्ट होता है तथा मु. बरजी के बाद उसकी जायन्दा पुत्री झमकू का नाम वर्णित कृषि आराजीयात में अंकित हुआ है एवं झमकू के फोत होने पर उसके दो पुत्र उदयलाल व मांगीलाल का नाम खाते में लगाया जाना प्रतीत होता है।

वादीगण द्वारा सेटलमेन्ट पूर्व की कोई नकल जमाबंदी प्रस्तूत नहीं की गई है, वादपत्र में फत्ता व घीसा को दो भाई होना अंकित किया गया है जबकि दर्शाये गये सजरे के अनुसार फत्ता के दो पुत्र नन्दा व घीसा स्पष्ट होते है। नन्दा के पेमा व भूरिया तथा घीसा की पुत्री झमकू दर्शाई गई है तथा झमकू के दो पुत्र मांगीलाल मृत व उदयलाल अंकित किये हुए है। पेमा के खाना को गोद पुत्र दर्शाया है व भूरिया के खाना व हीरा दर्शाए है जिसमें खाना पेमा के गोद गया है, खातना के पुत्र रामचन्द्र शंभुलाल ओमप्रकाश व बेवा मांगीबाई है तथा हीरा के दो पुत्र सुरेश व लाभचन्द्र अंकित किए हुए है।

इस प्रकार सजरे के अनुसार झमकूबाई कें पुत्रों का नाम खाते अंकित किया गया है, वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तूत नहीं किया गया है जो यह स्पष्ट करता हो कि सेटलमेन्ट से पूर्व पुत्री का नाम दर्ज नहीं होकर आराजी में वाद अनुसार फत्ता जी व उसके बाद उनके पुत्रों का नाम ही रखा गया हो, जबकि पैतृक कृषि आराजीयात में पुत्र के बाराबर पुत्री का नाम भी

-----लगातार

Scanned by CamScanner

अंकित किये जाने का प्रावधान वर्तमान में है। वादीगण की ओर से एक मात्र वादी रामचन्द्र के बयान कलमबद्ध कराये गये है जिसमें वादपत्र के वर्णित तथ्यों का सही बताते हुए वादपत्र में नकले प्रस्तुत किये जाने का अंकन किया है, स्वतंत्र गवाह में सुगनलाल माली के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तूत किया है जिसमें उनके द्वारा उन्होने प्रतिवादी उदयलाल को जानने का कथन अंकित करते हुए झमकू को वादी रामचन्द्र की बुआ बताते हुए झमकू का स्वर्गवास 15 साल पहले होना बताया है तथा उदयलाल का नाम झमकू के वारिस होने के कारण लिखा जाना अंकित किया गया है, झमकू कभी भी जमीन पर नहीं आई और ना ही अपना हिस्सा मांगने का कथन अपने शपथ पत्र में अंकित किया है। उदयलाल का भी कब्जा नहीं होना बताया है।

दावा पत्रावली के सम्पूर्ण अवलोकन से व दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि घीसा की पुत्री का नाम घीसा की मृत्यु उपरान्त ही वर्णित कृषि आराजीयात के खाते में लगाया गया है, तथा झमकू की मृत्यु के पश्चात उसके वारिस प्रतिवादी उदयलाल का नाम व मांगीलाल का नाम अंकित किया गया है, वादीगण द्वारा पूर्व में कृषि आराजीयात में पुत्री का नाम अंकित नहीं किये जाने से वर्णित आराजीयात वादीगण के पिता के नाम पर दर्ज हुई थी इस सम्बन्ध में कोई पुराना दस्तावेज प्रस्तूत नहीं किया है, जिससे कि यह माना जा सके कि झमकू का नाम सेटलमेन्ट की गलती के कारण पुनः लगाया गया हो । हमारे द्वारा भून्प्रबन्ध सेटलमेन्ट की नकलो का भी गहन अवलोकन किया गया जिसमें भी मृतक घीसा की पत्नि बरजीबाई का नाम अंकित किया होना स्पष्ट होता है। इस प्रकार वाद वर्णित आराजीयात पुश्तेनी होकर घीसा के वारिसान कमशः उनकी पत्नि बरजीबाई उसके पश्चात मु. झमकूबाई एवं झमकू के पश्चात उसके दो पुत्र उदयलाल व मांगीलाल के नाम दर्ज हुई है। प्रस्तूत दस्तावेज से वादीगण अपना वादपत्र सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहे है।

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं इन्द्राज दुरूस्ती का एतद् द्वारा खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

11/2

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला–चित्तौडगढ़(राज.)
(पीठासीनअधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस.)

दावा संख्या :: 114 / 2015

1. रामचन्द्र पिता खाना जी बलाई निवासी गुलाना तह0 बेगूँ
2. शंभुलाल पिता खाना जी बलाई निवासी गुलाना तह0 बेगूँ
3. ओमप्रकाश पिता खाना जी बलाई निवासी गुलाना तह0 बेगूँ
4. मांगीबाई बेवा खाना जी बलाई निवासी गुलाना तह0 बेगूँ
5. सुरेश पिता हीरा जी बलाई निवासी गुलाना तह0 बेगूँ
6. लाभचन्द्र पिता हीरा जी बलाई निवासी गुलाना तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. उदयलाल पिता प्यारा जी बलाई निवासी गोविन्दुपरा तह0 बेगूँ
2. श्री तहसीलदार भूमिधारी तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़
3. श्रीमान कलक्टर सा. प्रतिनिधी राज्य सरकार चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुलकरीम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 11.02.2020 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष न्यायालय में अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं इन्द्राज दुरूस्ती का एतद् द्वारा खारिज किया जाता हैं।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 11.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

11/2/2020

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner